

आदेश

श्रीमती पिंकी उपाध्याय पत्नी स्व0 हनुमान प्रसाद उपाध्याय जन्म तिथि-10.02.1985 निवासी-म0नं0-412, अवधपुरी कालोनी अमानीगंज थाना-कोतवाली नगर जनपद-फैजाबाद को उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 (यथासंशोधित) के अनुसार मृतक आश्रित के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वेतन बैंड रू0 5200-20200 व ग्रेड पे रू0 2000/- के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स लेबल-3 (रू0 21700-69100) तथा उस पर समय-समय पर देय अनुमन्य भत्तों के साथ उ0प्र0 पुलिस रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मचारी के पद पर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

श्रीमती पिंकी उपाध्याय उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) में कर्मशाला कर्मचारी पद हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त अपना आगमन उ0प्र0 पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र महानगर-लखनऊ में कराना सुनिश्चित करेंगी। उ0प्र0 पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र महानगर-लखनऊ में आगमन की तिथि से ही इन्हें उपरोक्तानुसार कर्मशाला कर्मचारी पद के वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। श्रीमती पिंकी उपाध्याय को प्रथम नियुक्ति पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। श्रीमती पिंकी उपाध्याय की यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। श्रीमती पिंकी उपाध्याय के आधारभूत प्रशिक्षण में संफल घोषित होने के उपरान्त इनकी नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में यथासमय अलग से आदेश पारित किया जायेगा। आधारभूत प्रशिक्षण में असफल होने पर श्रीमती पिंकी उपाध्याय को पूरक प्रशिक्षण प्रदान कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा और पूरक प्रशिक्षण में असफल पाये जाने की दशा में श्रीमती पिंकी उपाध्याय की सेवाएँ समाप्त कर दी जायेंगी।

श्रीमती पिंकी उपाध्याय को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अविध के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें कर्मशाला कर्मचारी के पद पर स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

संख्या:ए-1002/2017(भर्ती)
दिनांक:फरवरी 23, 2018

(सुनील कुमार शुक्ल)
राज्य रेडियो अधिकारी (प्रशासन)
उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर-लखनऊ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- राज्य रेडियो अधिकारी प्रशिक्षण।
- 2- सहायक रेडियो अधिकारी, प्रशासन/कार्मिक।
- 3- सहायक रेडियो अधिकारी प्रशिक्षण।
- 4- रेडियो निरीक्षक, प्रशिक्षण को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आश्रित का आगमन कराकर आगमन की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- रेडियो निरीक्षक, प्रतिसार को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन हेतु।
- 6- रेडियो निरीक्षक, कार्मिक को व्यक्तिगत पत्रावली पर अवस्थित करने हेतु।
- 7- प्रधान लिपिक अधीक्षक शाखा/चरित्रपंजी शाखा/आंकिक/सरवर प्रकोष्ठ।
- 8- श्रीमती पिंकी उपाध्याय पत्नी स्व0 हनुमान प्रसाद उपाध्याय पत्र व्यवहार का पता-म0नं0-एच-74 पुलिस रेडियो कालोनी महानगर लखनऊ (विशेष वाहक/रजिस्टर्ड) को इस आशय से कि अपना आगमन उ0 प्र0 पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र, महानगर-लखनऊ में कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) एम0सी0आर0/प्रशिक्षण, उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ।

आदेश

श्री अश्वनी कुमार पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र जन्म तिथि-16.03.1996 निवासी-ग्राम-शीवन्त थाना बेवर जनपद मैनपुरी, को उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 (यथासंशोधित) के अनुसार मृतक आश्रित के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वेतन बैंड रू0 5200-20200 व ग्रेड पे रू0 2400/- के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स (लेबल-4) तथा उस पर समय-समय पर देय अनुमन्य भत्तों के साथ उ0प्र0 पुलिस रेडियो विभाग में सहायक परिचालक के पद पर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

श्री अश्वनी कुमार उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) में सहायक परिचालक पद हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त अपना आगमन उ0प्र0 पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र महानगर-लखनऊ में कराना सुनिश्चित करेंगे। उ0प्र0 पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र महानगर-लखनऊ में आगमन की तिथि से ही इन्हें उपरोक्तानुसार सहायक परिचालक पद के वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। श्री अश्वनी कुमार को प्रथम नियुक्ति पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। श्री अश्वनी कुमार की यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। श्री अश्वनी कुमार के आधारभूत प्रशिक्षण में सफल घोषित होने के उपरान्त इनकी नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में यथासमय अलग से आदेश पारित किया जायेगा। आधारभूत प्रशिक्षण में असफल होने पर श्री अश्वनी कुमार को पूरक प्रशिक्षण प्रदान कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा और पूरक प्रशिक्षण में असफल पाये जाने की दशा में श्री अश्वनी कुमार की सेवाएँ समाप्त कर दी जायेंगी।

श्री अश्वनी कुमार को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अविध के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें सहायक परिचालक के पद पर स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

संख्या:ए-1067 / 2017(भर्ती)

दिनांक:फरवरी 23, 2018

(सुनील कुमार शुक्ल)

राज्य रेडियो अधिकारी (प्रशासन)
उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर-लखनऊ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- राज्य रेडियो अधिकारी प्रशिक्षण।
- 2- सहायक रेडियो अधिकारी, प्रशासन/कार्मिक।
- 3- सहायक रेडियो अधिकारी प्रशिक्षण।
- 4- रेडियो निरीक्षक, प्रशिक्षण को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आश्रित का आगमन कराकर आगमन की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- रेडियो निरीक्षक, प्रतिसार को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन हेतु।
- 6- रेडियो निरीक्षक, कार्मिक को व्यक्तिगत पत्रावली पर अवस्थित करने हेतु।
- 7- प्रधान लिपिक अधीक्षक शाखा/चरित्रपंजी शाखा/आंकिक/सरवर प्रकोष्ठ।
- 8- श्री अश्वनी कुमार पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र प्रधान परिचालक हाल पता-म0नं0-48/1 मो0 अम्बेडकरनगर कार स्केन सेन्टर के सामने रामघाट रोड अलीगढ थाना-क्वार्सी जनपद-अलीगढ (विशेष वाहक/रजिस्टर्ड) को इस आशय से कि अपना आगमन उ0 प्र0 पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र, महानगर-लखनऊ में कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) एम0सी0आर0/प्रशिक्षण, उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ।

आदेश

श्री अमनदीप सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र किशोर सिंह जन्म तिथि-22.09.1994 निवासी-ग्राम-बल्दूपुर, पो0 रहवाँ, थाना-हरचन्द्रपुर जनपद-रायबरेली को उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 (यथासंशोधित) के अनुसार मृतक आश्रित के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वेतन बैंड रू0 5200-20200 व ग्रेड पे रू0 2400/-के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स (लेबल-4) तथा उस पर समय-समय पर देय अनुमन्य भत्तों के साथ उ0प्र0 पुलिस रेडियो विभाग में सहायक परिचालक के पद पर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

श्री अमनदीप सिंह उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) में सहायक परिचालक पद हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त अपना आगमन उ0प्र0 पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र महानगर-लखनऊ में कराना सुनिश्चित करेंगे। उ0प्र0 पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र महानगर-लखनऊ में आगमन की तिथि से ही इन्हें उपरोक्तानुसार सहायक परिचालक पद के वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। श्री अमनदीप सिंह को प्रथम नियुक्ति पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। श्री अमनदीप सिंह की यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। श्री अमनदीप सिंह के आधारभूत प्रशिक्षण में सफल घोषित होने के उपरान्त इनकी नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में यथासमय अलग से आदेश पारित किया जायेगा। आधारभूत प्रशिक्षण में असफल होने पर श्री अमनदीप सिंह को पूरक प्रशिक्षण प्रदान कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा और पूरक प्रशिक्षण में असफल पाये जाने की दशा में श्री अमनदीप सिंह की सेवाएँ समाप्त कर दी जायेंगी।

श्री अमनदीप सिंह को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें सहायक परिचालक के पद पर स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

संख्या:ए-1798/2017(भर्ती)

दिनांक:फरवरी 23, 2018

23.2.18

(सुनील कुमार शुक्ल)

राज्य रेडियो अधिकारी (प्रशासन)
उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर-लखनऊ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- राज्य रेडियो अधिकारी प्रशिक्षण।
- 2- सहायक रेडियो अधिकारी, प्रशासन/कार्मिक।
- 3- सहायक रेडियो अधिकारी प्रशिक्षण।
- 4- रेडियो निरीक्षक, प्रशिक्षण को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आश्रित का आगमन कराकर आगमन की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- रेडियो निरीक्षक, प्रतिसार को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन हेतु।
- 6- रेडियो निरीक्षक, कार्मिक को व्यक्तिगत पत्रावली पर अवस्थित करने हेतु।
- 7- प्रधान लिपिक अधीक्षक शाखा/चरित्रपंजी शाखा/आंकिक/सरवर प्रकोष्ठ।
- 8- श्री अमनदीप सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र किशोर सिंह निवासी-ग्राम-बल्दूपुर, पो0 रहवाँ, थाना-हरचन्द्रपुर जनपद-रायबरेली (विशेष वाहक/रजिस्टर्ड) को इस आशय से कि अपना आगमन उ0 प्र0 पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र, महानगर-लखनऊ में कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) एम0सी0आर0/प्रशिक्षण, उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ।


आदेश

श्री शिवम बाजपेयी पुत्र स्व० आदित्य कुमार बाजपेयी जन्म तिथि-26.01.1995 निवासी-नोहल्ला ग्यासपुर पोस्ट/थाना बौसलपुर जनपद-पीलोभीत को उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 (यथासंशोधित) के अनुसार मृतक आश्रित के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वेतन बैंड रू० 5200-20200 व ग्रेड पे रू० 2000/- के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स लेबल-3 (रू० 21700-69100) तथा उस पर समय-समय पर देय अनुमन्य भत्तों के साथ उ०प्र० पुलिस रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मचारी के पद पर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

श्री शिवम बाजपेयी उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) में कर्मशाला कर्मचारी पद हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त अपना आगमन उ०प्र० पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र महानगर-लखनऊ में कराना सुनिश्चित करेंगे। उ०प्र० पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र महानगर-लखनऊ में आगमन की तिथि से ही इन्हें उपरोक्तानुसार कर्मशाला कर्मचारी पद के वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। श्री शिवम बाजपेयी को प्रथम नियुक्ति पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। श्री शिवम बाजपेयी की यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। श्री शिवम बाजपेयी के आधारभूत प्रशिक्षण में सफल घोषित होने के उपरान्त इनकी नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में यथासमय अलग से आदेश पारित किया जायेगा। आधारभूत प्रशिक्षण में असफल होने पर श्री शिवम बाजपेयी को पूरक प्रशिक्षण प्रदान कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा और पूरक प्रशिक्षण में असफल पाये जाने की दशा में श्री शिवम बाजपेयी की सेवाएँ समाप्त कर दी जायेंगी।

श्री शिवम बाजपेयी को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अविध के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें कर्मशाला कर्मचारी के पद पर स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

संख्या:ए-1654/2013(भर्ती)
दिनांक:फरवरी 2018


(सुनील कुमार शुक्ल)
राज्य रेडियो अधिकारी (प्रशासन)
उ०प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर-लखनऊ।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- राज्य रेडियो अधिकारी प्रशिक्षण।
- 2- सहायक रेडियो अधिकारी, प्रशासन/कार्मिक।
- 3- सहायक रेडियो अधिकारी प्रशिक्षण।
- 4- रेडियो निरीक्षक, प्रशिक्षण को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आश्रित का आगमन कराकर आगमन की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- रेडियो निरीक्षक, प्रतिसार को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन हेतु।
- 6- रेडियो निरीक्षक, कार्मिक को व्यक्तिगत पत्रावली पर अवस्थित करने हेतु।
- 7- प्रधान लिपिक अधीक्षक शाखा/चरित्रपंजी शाखा/आंकिक/सरवर प्रकोष्ठ।
- 8- श्री शिवम बाजपेयी पुत्र स्व० आदित्य कुमार बाजपेयी निवासी-सेक्टर-16/682, इन्दिरा नगर लखनऊ (विशेष वाहक/रजिस्टर्ड) को इस आशय से कि अपना आगमन उ० प्र० पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र, महानगर-लखनऊ में कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) एम०सी०आर०/प्रशिक्षण, उ०प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ।

आदेश

श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० अशर्फी लाल जन्म तिथि-25.07.1996 निवासी-म०नं०-117, सैयापुरवा पो० धियरमोहलिया, थाना-कोतवाली शहर जनपद-हरदोई को उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 (यथासंशोधित) के अनुसार मृतक आश्रित के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वेतन बैंड रू० 5200-20200 व ग्रेड पे रू० 2000/- के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स लेबल-3 (रू० 21700-69100) तथा उस पर समय-समय पर देय अनुमन्य भत्तों के साथ उ०प्र० पुलिस रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मचारी के पद पर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) में कर्मशाला कर्मचारी पद हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त अपना आगमन उ०प्र० पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र महानगर-लखनऊ में कराना सुनिश्चित करेंगे। उ०प्र० पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र महानगर-लखनऊ में आगमन की तिथि से ही इन्हें उपरोक्तानुसार कर्मशाला कर्मचारी पद के वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह को प्रथम नियुक्ति पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह की यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह के आधारभूत प्रशिक्षण में सफल घोषित होने के उपरान्त इनकी नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में यथासमय अलग से आदेश पारित किया जायेगा। आधारभूत प्रशिक्षण में असफल होने पर श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह को पूरक प्रशिक्षण प्रदान कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा और पूरक प्रशिक्षण में असफल पाये जाने की दशा में श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह की सेवाएँ समाप्त कर दी जायेंगी।

श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अविधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें कर्मशाला कर्मचारी के पद पर स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

संख्या:ए-1736/2014(भर्ती)
दिनांक:फरवरी 2018

(सुनील कुमार शुक्ल)
राज्य रेडियो अधिकारी (प्रशासन)
उ०प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर-लखनऊ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- राज्य रेडियो अधिकारी प्रशिक्षण।
- 2- सहायक रेडियो अधिकारी, प्रशासन/कार्मिक।
- 3- सहायक रेडियो अधिकारी प्रशिक्षण।
- 4- रेडियो निरीक्षक, प्रशिक्षण को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आश्रित का आगमन कराकर आगमन की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- रेडियो निरीक्षक, प्रतिसार को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन हेतु।
- 6- रेडियो निरीक्षक, कार्मिक को व्यक्तिगत पत्रावली पर अवस्थित करने हेतु।
- 7- प्रधान लिपिक अधीक्षक शाखा/चरित्रपंजी शाखा/आंकिक/सरवर प्रकोष्ठ।
- 8- श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० अशर्फी लाल निवासी-म०नं०-117, सैयापुरवा पो० धियरमोहलिया, थाना-कोतवाली शहर जनपद-हरदोई (विशेष वाहक/रजिस्टर्ड) को इस आशय से कि अपना आगमन उ० प्र० पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र, महानगर-लखनऊ में कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) एन०सी०आर०/प्रशिक्षण, उ०प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ।

आदेश

श्री अर्पण सिंह पुत्र स्व० धनन्जय सिंह जन्म तिथि-03.03.1986 निवासी-ग्राम-कुतुबपुर पोस्ट मोकलपुर थाना-मडियाहू जनपद-जौनपुर को उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 (यथासंशोधित) के अनुसार मृतक आश्रित के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वेतन बैंड रू० 5200-20200 व ग्रेड पे रू० 2000/- के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 (रू० 21700-69100) तथा उस पर समय-समय पर देय अनुमन्य भत्तों के साथ उ०प्र० पुलिस रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मचारी के पद पर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

श्री अर्पण सिंह उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) में कर्मशाला कर्मचारी पद हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त अपना आगमन उ०प्र० पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र महानगर-लखनऊ में कराना सुनिश्चित करेंगे। उ०प्र० पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र महानगर-लखनऊ में आगमन की तिथि से ही इन्हें उपरोक्तानुसार कर्मशाला कर्मचारी पद के वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। श्री अर्पण सिंह को प्रथम नियुक्ति पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। श्री अर्पण सिंह की यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। श्री अर्पण सिंह के आधारभूत प्रशिक्षण में सफल घोषित होने के उपरान्त इनकी नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में यथासमय अलग से आदेश पारित किया जायेगा। आधारभूत प्रशिक्षण में असफल होने पर श्री अर्पण सिंह को पूरक प्रशिक्षण प्रदान कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा और पूरक प्रशिक्षण में असफल पाये जाने की दशा में श्री अर्पण सिंह की सेवाएँ समाप्त कर दी जायेंगी।

श्री अर्पण सिंह को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अविधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें कर्मशाला कर्मचारी के पद पर स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

संख्या:ए-1736/2014(भर्ती)
दिनांक:फरवरी 2018

(सुनील कुमार शुक्ल)
राज्य रेडियो अधिकारी (प्रशासन)
उ०प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर-लखनऊ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- राज्य रेडियो अधिकारी प्रशिक्षण।
- 2- सहायक रेडियो अधिकारी, प्रशासन/कार्मिक।
- 3- सहायक रेडियो अधिकारी प्रशिक्षण।
- 4- रेडियो निरीक्षक, प्रशिक्षण को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आश्रित का आगमन कराकर आगमन की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- रेडियो निरीक्षक, प्रशिक्षण को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन हेतु।
- 6- रेडियो निरीक्षक, कार्मिक को व्यक्तिगत पत्रावली पर अवस्थित करने हेतु।
- 7- प्रधान लिपिक अधीक्षक शाखा/चरित्रपंजी शाखा/आंकिक/सरवर प्रकोष्ठ।
- 8- श्री अर्पण सिंह पुत्र स्व० धनन्जय सिंह निवासी-ग्राम-कुतुबपुर पोस्ट मोकलपुर थाना-मडियाहू जनपद-जौनपुर (विशेष वाहक/रजिस्टर्ड) को इस आशय से कि अपना आगमन उ० प्र० पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र, महानगर-लखनऊ में कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- उपनहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) एम०सी०आर०/प्रशिक्षण, उ०प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ।